

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, मा० प्र० से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 11 / 03 / 2026

विषय:- राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रु० 15,00,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-108(7), दिनांक-11.07.2022 के द्वारा दी गयी है।

2- उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक- F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-22.07.2025. पत्राक-F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्राक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत रु० 25.00 करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-275(7), दिनांक-02.09.2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रु० 25.00 करोड़ के विरुद्ध रु० 10.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3- पुनः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक- F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनांक-31.12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्राक-1049/वि०, दिनांक-31.12.2025 द्वारा इस परियोजना हेतु "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में राशि विमुक्त की गयी है।

4- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० मे)	व्ययादेश सं० एवं दिनांक
1	2023-24	5,00,00,000	सं०-195(7), दिनांक-28.08.2023
2	2023-24	20,00,00,000	सं०-641(7), दिनांक-14.03.2023
3	2024-25	1,50,00,000	सं०-80(7), दिनांक-25.06.2024
4	2024-25	25,00,00,000	सं०-131(7), दिनांक-16.08.2024
5	2024-25	25,00,00,000	सं०-151(7), दिनांक-29.08.2024
6	2024-25	42,66,00,000	सं०-306(7), दिनांक-23.12.2024
7	2024-25	5,00,00,000	सं०-495(7), दिनांक-10.03.2025
8	2024-25	27,34,00,000	सं०-539(7), दिनांक-20.03.2025
9	2024-25	60,00,00,000	सं०-590(7), दिनांक-28.03.2025
10	2025-26	10,00,00,000	सं०-275(7), दिनांक-02.09.2025
11	2025-26	10,00,00,000	सं०-350(7), दिनांक-06.10.2025

12	2025-26	7,00,00,000	सं०-442(7), दिनांक-12.12.2025
13	2025-26	25,00,00,000	सं०-87(7A), दिनांक-17.02.2026
	कुल-	2,63,50,00,000	

5- अतएव राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्रावकलन के आधार पर रु० 603,68,00,000 /-(रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रु० 15,00,00,000 /-(रुपये पन्द्रह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-108(7), दिनांक-11.07.2022 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7- इस राशि के व्यय का वहन मांग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि- 0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबधित राशि/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एव पत्रांक-1049/वि०, दिनांक-31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एव 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या- 07/बजट-46-02/2022 के पृष्ठ 68/टि० में प्राप्त है।

15- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यापाल के आदेश से,

(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-07 / बजट-46-02 / 2022 - 109 (7A) / स्वा०, पटना, दिनांक- 11/03/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / जिला पदाधिकारी, सुपौल / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।


11.3.26
सरकार के अपर सचिव।
-ky